दिनांक 21.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 585/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.11.2026 को थाना कोतवाली देहात व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शमीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेंज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मटेरा जनपद बहराइच का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शमीम निवासी ग्राम धनौली थाना मटेरा जनपद बहराइच।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 चैन का टुकड़ा**
- **01 चोरी की मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20/21.11.2026 की रात्रि थाना फेस–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गन्दा नाला पुस्ता रोड पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग

कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आदित्य उर्फ सन्नी उर्फ आदि 2–नसीम अली उर्फ रियाज घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 चैन का टुकड़ा, 01 चोरी की मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य उर्फ सन्नी उर्फ आदि के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त नसीम अली उर्फ रियाज के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आदित्य उर्फ सन्नी उर्फ आदि निवासी ग्राम मथुरापुर थाना बीटा–2, गौतमबुद्धनगर।

2–नसीम अली उर्फ रियाज निवासी ग्राम हर्जुनी सिमरई थाना राजा का रामपुर, एटा।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–01 चैन का टुकड़ा।

3–01 चोरी की मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20/21.11.2026 की रात्रि थाना सेक्टर–63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्रीन बेल्ट के पास से 02 अभियुक्तों 1–अभिषेक कुमार 2–मनोज को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक कुमार व अभियुक्त मनोज के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, हरियाणा, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09–09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक कुमार निवासी ग्राम पाची, थाना शेखोपुर सराय, नालन्दा बिहार वर्तमान पता–चोटपुर कालोनी थाना सेक्टर–63 गौतमबुद्धनगर।

2–मनोज निवासी चोटपुर कालोनी थाना सेक्टर–63 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 04 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 260 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 20.11.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संगम नहर के पास से अभियुक्त दानिश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 260 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में नानौता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दानिश निवासी मवी खुर्द खेड़ा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 52 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 260 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद फतेहपुर/थाना खागा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना खागा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/394 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–सोहनलाल 2–छोटू को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना फफूंद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना फफूंद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/366/363 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुनेश कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————